रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24, 1976/माघ 4, 1897

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 24, 1976/MAGHA 4, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 24th January 1976

G.S.R. 39(E).—In exercise of the powers conferred by Section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and Section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Drawback (1st Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 6 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971, in sub-rule (2), in Clause (b), the words "seventy-five per cent of" shall be omitted.

[No. 1]

C. BHUJANGASWAMY, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व तथा बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1976

सा० का० नि० 39(**अ**).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी (प्रथम संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी नियम, 1971 में, नियम 6 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) में, "की 75%" का लोप किया जाएगा।

[सं० 1]

सी० भुजंगस्वामी, उप-सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976